

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड



निर्वाचन आवश्यक/फैक्स/मेल

पत्रांक : 527/रा.नि.आ-3/1379/2013

दिनांक 01-05-2013

राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय),
उत्तराखण्ड।


राज्य निर्वाचन आयोग: अनुभाग-3 : देहरादून

विषय:- नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2013 में प्रभावी आदर्श आचरण संहिता के संबंध में।
महोदय,

नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2013 को सम्पन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना संख्या-58 एवं 59/रा0नि0आ0-3/1379/ 2013 दिनांक 05.04.2013 जारी की गयी थी। इसी क्रम में आदर्श आचार संहिता आयोग के पत्र संख्या-85/रा0नि0आ0-3/1379/2013 दिनांक 05.04.2013 लागू की गयी थी।

निर्वाचन परिणाम घोषित हो जाने के फलस्वरूप उक्त प्रभावी आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से एतद्वारा निष्प्रभावी की जाती है।

भवदीय,


(हरिश्चन्द्र जोशी) 1/5/2013
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या /रा0नि0आ0-3/1379/2013 तददिनांक।(फैक्स)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- उत्तराखण्ड शासन के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजीत सिंह)

सहायक आयुक्त।